सप्तदश बिहार विधान सभा

तृतीय सत्र

दैनिक विवरणिका

संख्या-03 **बुधवार, दिनांक- 28 जुलाई, 2021 ई० ।**

माननीय अध्यक्ष श्री विजय कुमार सिन्हा की अध्यक्षता में सभा की कार्यवाही प्रारंभ हुई ।

समय : 11.00 बजे पूर्वाह्न से 12.32 बजे अपराह्न तक ।

[1] अन्य चर्चा :-

सदन की कार्यवाही प्रारम्भ होते ही माननीय सदस्य, श्री ललित कुमार यादव द्वारा माँग की गयी कि दिनांक 23 मार्च, 2021 को सदन में जो घटना हुई उसपर चर्चा हो तथा कार्यमंत्रणा समिति की बैठक बुलाकर इसपर फैसला लिया जाय ।

माननीय मंत्री संसदीय कार्य विभाग द्वारा सर्वप्रथम सरकार की तरफ से आसन को धन्यवाद दिया गया कि आपने पहल करके विपक्ष के माननीय सदस्यों को सदन में आने का मार्ग प्रशस्त किया क्योंकि आज समाचार पत्र के माध्यम से जानकारी हुई कि विपक्ष के माननीय सदस्यगण सदन का बहिष्कार करेंगे । साथ ही उनके द्वारा 23 मार्च, 2021 की घटना के संबंध में पुन: आसन पर भरोसा जताते हुए कहा गया कि जो घटना घटी है वह आसन का विशिष्ट और विशेष क्षेत्राधिकार है । सरकार आसन के नियमन के साथ है ।

माननीय सदस्य श्री अजीत शर्मा द्वारा कहा गया कि 23 मार्च, 2021 को जो घटना है उसपर हमलोग बहस चाहते हैं और बहस के उपरान्त जो आसन का निर्णय होगा वह सर्वमान्य होगा ।

आसन द्वारा कहा गया कि जिस जनता के विश्वास को लेकर हम लोकतंत्र के पवित्र मंदिर में आते और विकास के संकल्प को पूरा करने के लिए बड़ी गम्भीरता और सजगता के साथ लगे रहते हैं । सभी विपक्ष के माननीय सदस्यों से मैंने आग्रह किया कि वे सदन में आयें और मेरी भावना के अनुरूप वे सदन में आये ये अच्छी बात है । साकारात्मक वातावरण बनाने में सबकी भूमिका होती है । मुझे सदन नेता, प्रतिपक्ष के नेता और सभी माननीय सदस्यों का जिस तरह से सहयोग मिलता है और तभी सदन की कार्यवाही चलती है । सभी ने साकारात्मक वातावरण के लिए सहमति दी है । मैं आपकी भावनाओं को स्वीकार करते हुए आज दिनांक 28.07.2021 को 01:00 बजे अप० में अपने कार्यालय कक्ष में कार्यमंत्रणा समिति की बैठक निर्धारित कर रहा हूँ । प्रश्नकाल बहुत महत्वपूर्ण होता यह आप भी समझते हैं इसलिए जब आप आसन का सम्मान कर रहे हैं और आसन पर विश्वास कर रहे हैं तो सदन की गरिमा और सदन के कार्य को आगे चलने दीजिए ।

[2] प्रश्नकाल :-

(i) 01 अल्पसूचित प्रश्न अपृष्ट ।

(ii) 22 तारांकित प्रश्न उत्तरित ।

(iii) 04 तारांकित प्रश्न अपृष्ट ।

(iv) 164 तारांकित प्रश्न अनागत ।

तारांकित प्रश्न संख्या-137 के निस्तारण के दौरान आसन द्वारा माननीय मंत्री, पथ निर्माण विभाग को उनके विभाग से संबंधित आज के लिए सूचीबद्ध प्रश्नों का शतप्रतिशत उत्तर ऑनलाईन उपलब्ध कराने के लिए धन्यवाद दिया गया ।

तदोपरान्त् माननीय सदस्य श्री सिद्धार्थ द्वारा पटना जिला अन्तर्गत अपने विधान सभा क्षेत्र के एक थाना में हुए भेदभाव का मामला उठाया गया ।

आसन द्वारा इस संबंध में सरकार को संज्ञान लेने का निदेश दिया गया ।

[3] शून्यकाल :-

(i)	श्री मिथिलेश कुमार	(ii)	श्री इजहारूल हसन
(iii)	श्रीमती शालिनी मिश्रा	(iv)	श्री राकेश कुमार रौशन
(v)	श्री पवन कुमार जायसवाल	(vi)	श्री श्याम बाबू प्रसाद यादव
(vii)	श्री अजीत कुमार सिंह	(viii)	श्री अजय कुमार
(ix)	श्री संजीव चौरसिया	(x)	श्री विजय कुमार खेमका
(xi)	श्री महानंद सिंह	(xii)	श्री अरूण सिंह
(xiii)	श्री रामबली सिंह यादव	(xiv)	श्री विनय कुमार चौधरी
(xv)	श्री मो० इजहार असफी	(xvi)	श्री अखतरूल ईमान
(xvii)	श्री विद्यासागर केशरी	(xviii)	श्री मुकेश कुमार यादव
(xix)	श्री ललित कुमार यादव	(xx)	श्री कुंदन कुमार
(xxi)	श्री वीरेन्द्र प्रसाद गुप्ता	(xxii)	श्री कृष्णनंदन पासवान
(xxiii)	श्री रामचन्द्र प्रसाद	(xxiv)	श्री सुधाकर सिंह
(xxv)	श्री चन्द्रहास चौपाल	(xxvi)	सुश्री श्रेयसी सिंह
(xxvii)	श्री कुमार कृष्ण मोहन उर्फ सुदय यादव	(xxviii)	श्री ललित नारायण मंडल
(xxix)	श्री प्रणव कुमार	(xxx)	श्री गोपाल रविदास
(xxxi)	श्री अरूण शंकर प्रसाद	(xxxii)	श्री हरि भूषण ठाकुर 'बचौल'
(xxxiii)	श्री मुरारी मोहन झा	(xxxiv)	श्री ललन कुमार
(xxxv)	श्री मुरारी प्रसाद गौतम	(xxxvi)	श्री संदीप सौरव
(xxxvii)	श्री पवन कुमार यादव	(xxxviii)	श्री विनय बिहारी
(xxxix)	श्री सूर्यकान्त पासवान	(xl)	श्री मनोज कुमार यादव

आसन द्वारा माननीय सदस्य श्री अजय कुमार, श्री अरूण सिंह एवं श्री विनय कुमार चौधरी को उनके संक्षिप्त शून्यकाल सूचना के लिए धन्यवाद दिया गया ।

[4] ध्यानाकर्षण सूचनाएँ :-

(i) माननीय सदस्य श्री ललित कुमार यादव एवं अन्य सभासदों का कृषि विभाग से संबंधित ध्यानाकर्षण सूचना को माननीय सदस्य श्री ललित कुमार यादव द्वारा पढ़ा गया तथा माननीय मंत्री कृषि विभाग श्री अमरेन्द्र प्रताप सिंह द्वारा इसका उत्तर दिया गया ।

(ii) माननीय सदस्य श्री विजय कुमार खेमका एवं अन्य सभासदों का स्वास्थ्य विभाग से संबंधित ध्यानाकर्षण सूचना को माननीय सदस्य श्री विजय कुमार खेमका द्वारा पढ़ा गया तथा माननीय प्रभारी मंत्री श्री श्रवण कुमार द्वारा इसके उत्तर के लिए सदन से समय लिया गया ।

तत्पश्चात् सभा की बैठक भोजनावकाश तक के लिए स्थगित हुई ।

भोजनावकाश के बाद

(02.00 बजे अपराह्न से 05.26 बजे अपराह्न तक)

(इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया)

सदन की कार्यवाही प्रारंभ होते ही माननीय नेता विरोधी दल द्वारा कार्यमंत्रणा समिति की बैठक में लिए गए निर्णय से सदन को अवगत कराने का अनुरोध आसन से किया गया ।

आसन द्वारा कहा गया कि इस विषय पर विधायी कार्य के समापन के उपरांत चर्चा करायी जायगी ।

[5] **आसन का संदेश** :-

आसन द्वारा सदन को सूचित किया गया कि आज विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस है । प्रकृति ही जीवन और शक्ति है । हमें हर हाल में पृथ्वी और इसके सम्पूर्ण प्राकृतिक परिवेश को जीने लायक बना कर रखने के लिए इसको संरक्षित करना होगा । यदि हम पर्यावरण का ख्याल नहीं रखेंगे तो आने वाले पीढ़ीयों को हम सही वातावरण प्रदान नहीं कर पाएंगे । हम सभी जनप्रतिनिधियों को अपनी प्राथमिकता, सामाजिक जिम्मेवारी को पूरी निष्ठा से निभाना होगा एवं पर्यावरण संरक्षण को हमें सर्वोच्च प्राथमिकता देनी होगी । साथ ही आसन द्वारा यह भी सूचित किया गया कि आज कृष्णपक्ष की पंचमी तिथि है । धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन भगवान शिव के साथ नाग देवता की पूजा से जीवन में काल का भय समाप्त हो जाता है तथा जीवन में आया हुआ कष्ट दूर हो जाता है । सदन का वातावरण अगर नकारात्मक है और कोई माननीय सदस्य उसे सकारात्मक वातावरण में परिणत करते हैं तो मैं हृदय से उन्हें धन्यवाद दूंगा, किन्तु सदन की शान्ति को उत्तेजना में बदलने वाले के प्रति किसी की सहानुभूति नहीं रहेगी ।

[6] **विधायी कार्य** :-

राजकीय विधेयक :-

"**बिहार माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2021**"

माननीय मंत्री, वाणिज्यकर विभाग श्री तारकिशोर प्रसाद द्वारा सदन की अनुमति से विधेयक सदन में पुर:स्थापित हुआ तथा विधेयक पर विचार का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया ।

माननीय सदस्य श्री ललित कुमार यादव द्वारा प्रवर समिति का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया तथा अपना पक्ष रखा गया । प्रस्ताव सदन द्वारा अस्वीकृत हुआ ।

माननीय सदस्य श्री अजीत शर्मा एवं श्री समीर कुमार महासेठ द्वारा विधेयक के मूल पाठ में क्रमश: खण्ड-9, 12 एवं 13 में दिए गए संशोधन के प्रस्ताव को प्रस्तुत किया गया ।

विचार के प्रस्ताव की स्वीकृति उपरान्त खंडश: विचार के क्रम में माननीय सदस्य श्री अजीत शर्मा एवं श्री समीर कुमार महासेठ द्वारा दिए गए सभी संशोधन सदन द्वारा अस्वीकृत हुआ तथा सभी खंड बारी-बारी से विधेयक के अंग बने ।

माननीय प्रभारी मंत्री द्वारा विधेयक की स्वीकृति का प्रस्ताव प्रस्तुत किया तथा पक्ष रखा गया ।

तदुपरान्त बिहार माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2021 सदन से स्वीकृत हुआ ।

"**बिहार राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन (संशोधन) विधेयक, 2021**"

माननीय मंत्री, वित्त विभाग श्री तारकिशोर प्रसाद द्वारा सदन की अनुमति से विधेयक सदन में पुर:स्थापित हुआ तथा विधेयक पर विचार का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया ।

माननीय सदस्य श्री ललित कुमार यादव द्वारा प्रवर समिति का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया तथा अपना पक्ष रखा गया । प्रस्ताव सदन द्वारा अस्वीकृत हुआ ।

माननीय सदस्य श्री समीर कुमार महासेठ एवं श्री अजीत शर्मा द्वारा विधेयक के मूल पाठ के खण्ड-2 में दिए गए संशोधन के प्रस्ताव को प्रस्तुत किया गया ।

विचार के प्रस्ताव की स्वीकृति उपरान्त खंडशः विचार के क्रम में माननीय सदस्य श्री समीर कुमार महासेठ एवं श्री अजीत शर्मा द्वारा दिए गए संशोधन सदन द्वारा अस्वीकृत हुआ तथा सभी खंड बारी-बारी से विधेयक के अंग बने ।

माननीय मंत्री द्वारा विधेयक की स्वीकृति का प्रस्ताव प्रस्तुत किया तथा पक्ष रखा गया ।

तदुपरान्त बिहार राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन (संशोधन) विधेयक, 2021 सदन से स्वीकृत हुआ ।

''बिहार अभियंत्रण विश्वविद्यालय विधेयक, 2021''

माननीय मंत्री, विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग श्री सुमित कुमार सिंह द्वारा सदन की अनुमति से विधेयक सदन में पुरःस्थापित हुआ तथा विधेयक पर विचार का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया ।

माननीय सदस्य श्री अजय कुमार सिंह द्वारा विधेयक के सिद्धांत पर विमर्श का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया तथा अपना पक्ष रखा गया । प्रस्ताव सदन द्वारा अस्वीकृत हुआ ।

माननीय सदस्य श्री ललित कुमार यादव द्वारा संयुक्त प्रवर समिति का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया एवं पक्ष रखा गया । प्रस्ताव सदन द्वारा अस्वीकृत हुआ ।

माननीय सदस्य श्री महबूब आलम द्वारा प्रवर समिति का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया एवं पक्ष रखा गया ।

प्रस्ताव सदन द्वारा अस्वीकृत हुआ ।

माननीय सदस्य श्री अजीत शर्मा, श्री समीर कुमार महासेठ, श्री ललित कुमार यादव द्वारा विधेयक के विभिन्न खण्डों में संशोधन का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया एवं संशोधन सदन द्वारा अस्वीकृत हुआ । माननीय सदस्य श्री ललित कुमार यादव द्वारा विधेयक के खण्ड-9 में दिए गए संशोधन पर मत विभाजन की प्रक्रिया अपनायी गयी जिसमें संशोधन के पक्ष में 89 एवं संशोधन के विपक्ष में 110 मतों से संशोधन सदन द्वारा अस्वीकृत हुआ तथा विचार के प्रस्ताव की स्वीकृति उपरान्त खंडशः विचार के क्रम में सभी खंड बारी-बारी से विधेयक के अंग बने ।

माननीय मंत्री द्वारा विधेयक की स्वीकृति का प्रस्ताव प्रस्तुत किया तथा पक्ष रखा गया ।

तदुपरान्त बिहार अभियंत्रण विश्वविद्यालय विधेयक, 2021 सदन से स्वीकृत हुआ ।

तत्पश्चात् आसन द्वारा घोषणा की गयी कि एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा होगी तथा चर्चा की समाप्ति तक सदन की सहमति से इसकी अवधि बढ़ायी जाती है ।

आसन द्वारा कहा गया कि 23 मार्च, 2021 को घटना से लोकतंत्र शर्मसार हुआ है । लेकिन आपसी विमर्श से हम व्यवधान से समाधान की ओर बढ़ सकते हैं । हर विवाद को अपने व्यवहार एवं संवाद से हम हल करने में सक्षम हैं । अंधेरा को कोसने से बेहतर होगा कि एक दीया जलाएं ।

दिनांक-23 मार्च, 2021 को अलोकतांत्रिक घटना पर सामान्य विमर्श में निम्नांकित माननीय सदस्यों ने भाग लिया ।

(i)	श्री तेजस्वी प्रसाद यादव	(ii)	श्री जीतन राम मांझी
(iii)	श्री अजीत शर्मा	(iv)	श्री अख्तरूल ईमान
(v)	श्री महबूब आलम	(vi)	श्रीमती स्वर्णा सिंह
(vii)	श्री अजय कुमार	(viii)	श्री राम रतन सिंह
(ix)	श्री नन्द किशोर यादव		

तत्पश्चात् माननीय मंत्री संसदीय कार्य विभाग द्वारा इस घटना के संबंध में सरकार के पक्ष से सदन को विस्तारपूर्वक अवगत कराया गया ।

तदोपरान्त आसन द्वारा कहा गया कि ''जरा सा पैर जो फिसला, इल्जाम उसी चप्पल पर लगाया सबने,
महीनों तपती जमीन और कांटों से बचाया जिसने ।''

ये आसन सभी माननीय सदस्यों के आस्था का स्थल है । लोग आते रहेंगे, जाते रहेंगे, जो जन्म लिया है मरना तय है, जो आया है जाना तय है । इस सत्य से हम मुंह नहीं मोड़ सकते और जो मुंह मोड़ते हैं, वह महामूर्ख हैं इसलिए वीरता उसमें नहीं कि हम किसी को लज्जित कर दें, कलंकित कर दें या किसी का दोहन और शोषण कर लें, बड़प्पन उसमें है कि हम उसके दिल को कैसे जीत लें और बहुत अच्छा सभी लोगों ने कहा, एक सदस्य माननीय उठकर के अभी, अभिभावक तुल्य चौधरी साहब ने कहा कि हम और आप भाई है । सभी माननीय सदस्य, इस सदन में जो बैठे हैं, न उनकी जाति, न उनका धर्म, उनका परिवार अलग है, सभी एक जाति के, एक धर्म के, एक परिवार के हम सदस्य हैं और जिस दिन मन के अंदर ये भाव आयेगा तो कभी हम किसी को हीनता की भावना से न अपमानित करेंगे, न कलंकित करेंगे, न गंदी राजनीति के कारण उसे बदनाम करने का प्रयास करेंगे । गलती हुई है, अपमान हुआ है, वह अपमान इस आसन का नहीं, इस सदन का हुआ है क्योंकि सभी इस आसन से जुड़े हुए उनकी आस्था का अपमान हुआ है । वह अपमान इस आसन का नहीं, इस सदन का हुआ है क्योंकि सभी इस आसन से जुड़े हुए हैं उनकी आस्था का अपमान हुआ है । किसी विधायक को अगर जो बूट से मारा गया है तो वह एक व्यक्तिगत उस विधायक का नहीं, विधायिका का अपमान हुआ है । ये कहीं हम आप अपने को माफ नहीं कर सकते हैं । ये परिस्थिति उत्पन्न जिस कारण से हुई है, उस परिस्थिति को सबको मन के अंदर गंभीरता के साथ विचारना पड़ेगा कि ऐसी परिस्थिति भविष्य में कभी उत्पन्न न हो । हमने इसके पूर्व भी कहा था कि

''कल हम न होंगे, न गिला होगा,
सिर्फ सिमटी यादों का सिलसिला होगा,
जो लम्हें हैं, चलो उसे हँसकर बिता लें,
न जाने कल जिन्दगी का क्या फैसला होगा ।''

अभी कोरोना काल में हमारे कितने माननीय चले गए । हर लोग डरे-सहमे खड़े थे, कल की सुबह कौन देखेगा, किसी को पता भी नहीं था । इस सच को स्वीकार कर लें । हर विकास से हम सब ग्रसित हैं लेकिन यह विकार जो काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ के अहंकार में ईर्ष्या और द्वेष की भावना को उत्पन्न करता है । आप आम नहीं खास हैं । आम व्यक्ति के अन्दर एक ग्रसित भावना होती है तो कुछ देर के लिए क्षम्य होता है लेकिन जो आप खास यहाँ बैठे हैं, कल वे सत्ताधारी दल में यहाँ भी बैठेंगे, विपक्ष की तरफ वहाँ भी बैठेंगे और यहाँ भी बैठेंगे । कोई नहीं जानता है इनके तकदीर और उनके भाग्य को । किसको कहाँ अवसर मिल जायेगा और इस सत्य को स्वीकार कर लीजिए कि हर का सम्मान हम दिल से करें, किसी को तुच्छ न समझें, किसी के भाव को दबाने का प्रयास न करें ।

आज आप सबकी भावना को लेकर संसदीय कार्य मंत्री जी, माननीय उप मुख्यमंत्री जी द्वय, नेता प्रतिपक्ष, सभी दल के नेताओं ने अपने विचार को रखा है । हमारा सौभाग्य है कि ऐसे वरीय लोग भी बैठे हैं जिनका मार्गदर्शन हमको मिलता है और इस मार्गदर्शन को लेकर हम इस सदन की गरिमा बढ़ा सकते हैं क्योंकि एक सुख तन का मिलता है जो अपने कर्म से लोग हासिल कर लेते हैं, चाहे पाप से या पुण्य से । एक सुख मन का मिलता है जो येन-केन-प्रकारेण जुगाड़ से, ताकत से, विद्वता से हासिल करते हैं लेकिन जो एक सुख मिलता है आत्मीय सुख-वह सुख न ताकत से, न लोभ से और न कोई विकार से । वह आत्मीय सुख आपको मिलेगा अपनी अंतरात्मा की प्रेरणा से, जिससे हम आने वाली पीढ़ी को गौरवान्वित होने की यह प्रशस्त करेंगे और इस राह को प्रशस्त करने के लिए हमको-आपको मिलकर संकल्प लेना पड़ेगा कि ऐसी घटना घटित न हो । कोई अगर जो उत्तेजित होते हैं तो हम उसको रोकें । हम उसको इसके लिए प्रेरित न करें । उन विकारों को हम ताकत

न दें । उस ताकत का ही परिणाम है कि आज हम सब, कितना बड़ा आपने इतिहास रचा था, 22 दिन में 21 दिन आपने सदन चलाया, आपके प्रश्न का 90 प्रतिशत से उपर का जवाब इस सदन के अन्दर आया । सरकार की संवेदनशीलता, सजगता और विपक्ष की जागरूकता ने मिलकर एक मिसाल पेश किया । लेकिन कुछ देर की घटना, एक दिन के कारण कहीं मन के अंदर, सबके अंदर यह स्पंदन पश्चाताप् का हो रहा है । मन के अंदर यह भाव न रखें, विधायिका को चोट लगी है, पूरा सदन मर्माहत है लेकिन सदन के अंदर आसन अगर जो अपमानित हुआ है तो फिर भी पूरे सदन के सदस्य मर्माहत हैं । यह भाव पुन: न आये, यह मनोभाव किसी के मन के अंदर आता है तो उस समय एक बार विचार कर लें कि यह भी मेरा भाई है, हमको मिलकर आगे बेहतर काम करना है, मधुरता के साथ सदन चलाना है । यही आग्रह और निवेदन है ।

पुन: आपसे आग्रह करेंगे कि एक बेहतर बिहार के लिए हम सब संकल्पित हों । धन्यवाद ।

निवेदन :-

आसन से घोषणा की गयी कि आज के लिए स्वीकृत कुल 57 निवेदनों को सदन की सहमति से संबंधित विभागों को भेज दिये जायेंगे ।

तदुपरान्त सभा की बैठक वृहस्पतिवार, दिनांक-29 जुलाई, 2021 के 11.00 बजे पूर्वाह्न तक के लिए स्थगित हुई ।

पटना

दिनांक-28.07.2021

भूदेव राय

प्रभारी सचिव,

बिहार विधान सभा, पटना ।